

दिनांक

संख्या-1769/76/एक/2013-14  
दिनांक 30 जुलाई, 2015

सेवा में

निदेशक

राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण

5050, लखनऊ

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक : 21 अगस्त, 2015

उन्मुख कार्यक्रम विभाग।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियाँ में आसरा योजनान्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1769/76/एक/2013-14 दिनांक 30 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियाँ में आसरा योजना (आवसीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 से वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद-उन्नाव की निकाय-गौराबा (11) की 05 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-52/1647/69-1-14-21(आसरा-83)/2014 दिनांक 08.11.2014 द्वारा रु० 19.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु० 9.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्य को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राग्निर्धारित बजट से निम्नलिखित तालिका से सत्रम्भ-7 में अंकित धनराशि रु० 9.60 लाख (रुपये नौ लाख साठ हजार मात्र) को द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	जनपद/निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल लागत	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु परियोजना की कुल आवसीय लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	उन्नाव/गौराबा (11)	24	19.20	05	19.20	9.60
योग				05	19.20	9.60

(रुपये नौ लाख साठ हजार मात्र)

- उक्त धनराशि का व्यवहार आसरा योजना (आवसीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 03 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका चण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-310 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रावोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-2/-

28/08/15


6

7

28/08/15

3. प्रायोजक को 3 वर्षों तक पर्याप्त धन में एक आवासों के आवासों को पूरा करने के लिए एक प्राधिकरण/सदन लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाएगा साथ ही नियमानुसार सहायक आवक के वैधानिक आगंतकों एवं पंचायतीय वित्तविकास प्राप्त करों के उपरान्त ही निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजक रचना एवं गुणवत्ता प्रमाण/समय स्तरीय रूप से समिति द्वारा सुनिश्चित शर्तों/शर्तों के अर्थात् उपर्युक्तानुसार निर्धारित रूप में व्यय की जायेगा। योजनागत परिवर्तनों की मानकीकृत संश्लेषण, मापदंड एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमोदित नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जित कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दश में उक्त कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परिवर्तनों/पुनः गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का करट एस्केंशन अनुमोदित नहीं होगा।
6. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिचय के अन्तर्गत होना एवं कार्य/मद द्विराश्रुति/पुनराश्रुति न हो इसे सूडा/डूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजकान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में बृद्धि एवं अन्य विशेषियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी दृष्टि से निर्मित करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक इतिहास होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आगत योजनागत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
9. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित एजेंसी द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवर्तनों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विवरण सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्रय होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा/डूडा के माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पत्राचार पर आश्रय हो लेंगे।
10. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30900, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/संयोजक अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग का प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
11. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30900, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक बने के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
12. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पीओएनएओ में नहीं रखा जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कौड़ी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।


13. कुल 9111111 का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में क्या कलेक्टर अवश्य करा लिया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष हो जाने के पश्चात् इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक प्रगति/सुगमता एवं उपरोक्त प्रमाण पर ध्यान का समय से उपलब्ध कराया जायेगा निर्धारित आदि के बाद अनुसूचित धनराशि बतियाई जायेगी।
14. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आरण की वर्षोत पर अपने लेखों में भारत महासंस्था के कार्यक्रम के लेखों का अवश्य करवर्गे।
15. परियोजना से सम्बन्धित निम्नलिखित इकाई से सहाय्यता धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुसूचित (एम0ओ0यू0) निर्धारित किये जाने हेतु सूत्र द्वारा सम्बन्धित दूता को निर्देशित किया जायेगा।
16. सूत्रों की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुसूचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय आयोजनागत-02-शहरी आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष मदक योजना-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-21-ग्रहद निर्माण कार्य" के तहत डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यक्रम जाय संख्या-2/2015/बी-1 925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भारतीय,  
  
 (एच0पी0 सिंह)  
 विशेष सचिव।

संख्या 187/2015/1887(1)/62-1-15, तद्विनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदार), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नागडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं मरीदी अनुसूचित कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उन्नाव।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0, शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
  
 (एच0पी0 सिंह)  
 विशेष सचिव।